न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 62/19

1. सतपाल उम्र 55 साल पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई निवासी 5 के ए एम तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–प्रार्थी

बनाम

1. सोपारी उम्र 80 साल धर्मपत्नी श्री हेतराम जाति बिश्नोई निवासी 5 केएएम तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. जगदीप सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख उम्र 22 साल निवासी झोटावाली तहसील रायसिंहनगर
3. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री राम उम्र 50 साल जाति बिश्नोई निवासी 3 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री मोहन लाल बाना वकील प्रार्थी
2. श्री अनिल बिश्नोई वकील अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 25/11/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 3 एनपी पं.नं. 146/308 के मु.नं. 27 के 6.200 है0 व मु.नं. 34 पं.नं. 146/309 के .126 है0 कुल 6.326 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाना व अप्रार्थीया सं. 1 के पिता के नाम से खातेदारी भूमि थी। प्रार्थीगण के नाना का देहान्त होने के बाद प्रार्थीगण की माता अप्रार्थीया सं. 1 को विरास्तन में 1/5 हिस्सा भूमि आई। इस भूमि में प्रार्थीगण व रामसिंह, शिवशंकर, रोशनी, रामदेवी, सरस्वती का बहिब जन्म से अधिकार है। जो पाने के अधिकारी है। सरस्वती का देहान्त हो चुका हैं जिसके विधिक प्रतिनिधि सुमित्रा, रेणू, कमलेश है। अप्रार्थी सं. 1 ने शिवशंकर के बहकावें में आकर अप्रार्थी सं. 2 व 3 को जरिये बैयनामा उक्त भूमि दिनांक 26.06.19 को पंजीबद्ध करवा दी है। जबकि उक्त भूमि बेचने का उन्हें कोई अधिकार नही था। चूकि सारी भूमि जद्दी जायदाद है। विवादित भूमि सोपारी को उसके पिता से विरास्तन मिली हुई है। जो जद्दी जायदाद है। इस भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। इस प्रकार सोपारी द्वारा करवाये गये बैयनामा का प्रार्थीगण के हिस्सो पर प्रतिकुल असर नही है। यह दोनो बैयनामें शुरू से शून्य है। अतः न्यायहित में ताफैसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि चक 3 एनपी पं.नं. 146/308 के मु.नं. 27 के 6.200 है0 व मु.नं. 34 पं.नं. 146/309 के .126 है0 कुल 6.326 है0 भूमि पर सोपारी का 1/5 हिस्सा भूमि को किसी प्रकार को किसी अन्य को हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में मु.नं. 27 के कि.नं. 6 ता 10 के 1.265 है0 भूमि उपयोग उपभोग व धारण में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी करने से बाज ममनू रहे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री अनिल बिश्नोई अधिवक्ता उपस्थित आये। जिन्होने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि मु.नं. 27 के कि.नं. 6 ता 10 के 1.265 है0 भूमि अस्थाई

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीया सोपारी को अपने पिता से प्राप्त भूमि भारतीय उतराधिकारी अधिनियम के तहत स्वयं अर्जित भूमि कहलाती है। जिस पर समस्त प्रकार के अधिकार व हक सोपारी देवी को भूमि के रोज से प्राप्त है। जिस पर प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नही है। सोपारी देवी द्वारा करवाये गये बैयनामा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर करवाये गये है। जो विधि सम्मत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र इसी सुरत खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी चक 3 एनपी सम्वत् 2033 में पं.नं. 146/308 के मु.नं. 27 की 6.200 है0 भूमि मुस्मात पार्वती बेवा रंजीत व हनुमान, रामकुमार, मीरा, सोपारी, विद्या, पि0 रंजीत कौम बिश्नोई बहिब साकिन देह खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार इन्तकाल सं. 89 अनुसार मु.नं. 27, 34 की 6.326 है0 भूमि पार्वती के फौत होने पर हनुमान , मीरा, विद्या, रामकुमार पि0 रणजीत प्रत्येक 1/5 हिस्सा कौम बिश्नोई साकिन खातेदार के नाम से दर्ज है। सोपारी देवी को वादग्रस्त भूमि अपने पिता से प्राप्त हुई है। जो उसके द्वारा अपने जीवन काल मे जरिये बैयनामा दिनांक 19.06.19 को अप्रार्थी सं. 2 व 3 को बेचान कर दी गई है। अतः मूल वाद में दोनो पक्षों के साक्ष्य लिये जाकर मैरिट के आधार पर तय किया जायेगा। प्रार्थी प्रार्थना–पत्र के रूह से कोई राहत पाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र राज.काश्त.अधिनियम 212 खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.07.19 को भी खारिज किया जाता है। पत्रावली मूल वाद के साथ शामिल रहे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.10 15:51:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: